भाकृअनुप– केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान,अविकानगर
राजभाषा अनुभाग

फा.स. हिंदी प्रोत्साहन/2017 दिनांक : 20.12.2021

परिपत्र

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फरवरी 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/12013/3/87–रा भा (क–2) के अनुसरण में सरकारी कामकाज में मूलतः हिन्दी में टिप्पण/आलेखन के लिए संस्थान में वित्त वर्ष 2020–2021 (01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) हिंदी में निष्पादित करने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन योजना हेतु प्रविष्टियाँ (01.04.2020 से 31.03.2021 तक की) हिन्दी में लिखे गए नोट/मसौदा, लेखन संबंधी आंकड़े अपने उच्चाधिकारी/प्रभारी के माध्यम से रिकॉर्ड की फोटोकॉपी के साथ दिनांक 05 जनवरी 2022 तक राजभाषा अनुभाग को भिजवाने का कष्ट करें ताकि उसे पुरस्कार हेतु मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
इसके पश्चात् प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों पर प्रतियोगिता में शामिल करने हेतु विचार नहीं किया जाएगा। हिंदी में किए गए कार्य के लिए रखे गए रिकार्ड/पंजिका के साथ प्रविष्टियाँ भेजने हेतु प्रपत्र का प्रारूप निम्नानुसार हैः

प्रविष्टि हेतु प्रपत्र का प्रारूप

श्री/श्रीमति/कुमारी ....की...........................को समस्त होने वाले वर्ष में हिंदी में निष्पादित मूल कार्य का वार्षिक विवरणः

....

क्र.सं.	कुल फाईल/रजिस्टर आदि की संख्या जिसमें हिंदी में कार्य किया गया	हिंदी में लिखी गई टिप्पणी और आलेख के शब्दों की संख्या	हिंदी में किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण	उच्चाधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

(उपरोक्त विवरण अनुमानित अथवा अधूरा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा समय–समय पर उच्चाधिकारी से प्रमाणित होना आवश्यक है)

पात्रता

(क) सभी श्रेणी के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतयाः या कुछ हद तक मूल रूप से हिंदी में करते हैं।

(ख) केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो "क" तथा "ख" क्षेत्र (अर्थात् बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र) में 20 हजार शब्द तथा "ग" क्षेत्र (जिसमें "क" तथा "ख" क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य क्षेत्र शामिल है) में वर्ष कम से कम 10 हजार शब्द हिंदी में लिखते हैं। इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिंदी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके जैसे रजिस्टर में इन्द्राज सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि शामिल किए जाएंगे।

(ग) आशुलिपिक/टाईपिस्ट जो सरकारी कामकाज में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(घ) संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 02.11.2018 को संपन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार जिन कर्मचारियों को एक बार लाभ मिल चुका है वे तीन साल तक इसका पुनः लाभ लेने के पात्र नहीं होंगें।

पुरस्कार राशि एवं संख्या निम्नानुसार होगी

पहला पुरस्कार	(2 पुरस्कार)	प्रत्येक रू. 5000/–
दूसरा पुरस्कार	(3 पुरस्कार)	प्रत्येक रू. 3000/–
तीसरा पुरस्कार	(5 पुरस्कार)	प्रत्येक रू. 2000/–

यह निदेशक महोदय की स्वीकृति से जारी किया गया है।

(नवीन कुमार यादव)
सहायक निदेशक (रा भा)

वितरणः
1. सभी प्रभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी, अविकानगर।
2. अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी, बाहरी उपकेन्द्र बीकानेर, गड़सा एवं मन्नावनूर।
3. निदेशक के निजी सचिव।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, एकेएमयूनिट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड।
7. रक्षित पत्रावली।